




राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/3496-यू/2018/ दिनांक :

संशोधित आदेश


निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/से.नि./2018/340 दिनांक 09.02.2018 के द्वारा क्र. सं. 2 अंकित श्रीमति हर्षा, वरिष्ठ सहायक का दिनांक 30.06.2018 से 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति आदेश जारी किये गये थे। निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/2018/181 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/3496-यू/2018/1060 दिनांक 26.04.2018 के द्वारा कार्मिका के सेवाभिलेख में इनका नाम हर्षा के स्थान पर हर्षा आहुजा किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारी के सेवानिवृति आदेशों में श्रीमति हर्षा का नाम एवं पदनाम हर्षा के स्थान पर हर्षा आहुजा एवं वरिष्ठ सहायक के स्थान पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी पढा जावें।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर
दिनांक : 09/05/18

क्रमांक :- ई-18/एम/3496-यू/2018/1233
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
3. डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
4. श्रीमति हर्षा आहुजा, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर